

16/6/25

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। मूल राजस्व आवेदन का निस्तारण हो चुका है। मूल राजस्व आवेदन का निस्तारण होने से प्रार्थना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से मूल राजस्व आवेदन के साथ-साथ स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवम् नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

